प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –338 / 2023

अनवान : –

1. प्रमोद पुत्र दुनीराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर तहसील नोहर।
2. प्रहलाद पुत्र राजकुमार जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।

–– वादीगण

बनाम्

1. दुनीराम पुत्र शिशपाल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
2. विकास पुत्र दुनीराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
3. राजकुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
4. अजय पुत्र राजकुमार जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
5. सुनीता पुत्री राजकुमार पत्नी मनीष बिजारणीया जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
6. समेस्ता पुत्री राजकुमार पत्नी कलदीपमान जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88</u>

उपस्थिति :– श्री संजय जोशी अधिवक्ता **वादीगण**

<u>निर्णय</u> **दिनांक: 26.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 5 पीपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 43 / 43 की कुल 9.2460 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी स0 2 प्रत्येक के 1 / 2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 415 / 357 की कुल 11.5360 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 व 3 प्रत्येक के नाम 1 / 2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा शिशपाल पुत्र दीपाराम के नाम दर्ज थी। उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी स0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी स0 2 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 व 4 ता 6 का प्रतिवादी स0 1 व 3 के साथ बहिब हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 5 व 6 जो की वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 4 कि वादी बहिने है एवं प्रतिवादी स0 3 की पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादी स0 2 एवं प्रतिवादी स0 3 व 4 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:15 IST
Reason: SelfAttested

बाद हक त्याग रोही मौजा 5 पीपीएम के खाता स0 43/43 की कुल 9.2460 हैक्ट भूमि तथा तथा रोही मौजा बिरकाली बिरानी के खाता स0 415/357 की कुल 11.5360 हैक्ट भूमि दोनो खातों में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में वादी स0 1 एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 3 व 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीगण का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा 5 पीपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 43/43 की कुल 9.2460 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी स0 2 प्रत्येक के 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 415/357 की कुल 11.5360 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 व 3 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच तस्दीक बाबत वारिसान एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 व 3 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादीया स0 5 [illegible] अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है।अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:15 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 पीपीएम तहसील नोहर के खाता स0 43/43 की कुल 9.2460 हैक्ट भूमि तथा तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 415/357 की कुल 11.5360 हैक्ट भूमि दोनो खातों में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादी स0 1 एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं उक्त दोनो खातों में प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 3 व 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक...21/5/23...को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बिरकाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –338 / 2023
अनवान : –

1. प्रमोद पुत्र दुनीराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर तहसील नोहर।
2. प्रहलाद पुत्र राजकुमार जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।

–– वादीगण

बनाम्

1. दुनीराम पुत्र शिशपाल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
2. विकास पुत्र दुनीराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
3. राजकुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
4. अजय पुत्र राजकुमार जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
5. सुनीता पुत्री राजकुमार पत्नी मनीष बिजारणीया जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
6. समेस्ता पुत्री राजकुमार पत्नी कलदीपमान जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 338 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 पीपीएम तहसील नोहर के खाता स0 43/43 की कुल 9.2460 हैक्ट भूमि तथा तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 415/357 की कुल 11.5360 हैक्ट भूमि दोनो खातों में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादी स0 1 एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं उक्त दोनो खातों में प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 3 व 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बिरकाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:15 IST
Reason: SelfAttested